भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1726

10 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ

विषय-एमएसपी कवरेज

1726. श्री मुरारी लाल मीनाः

डॉ. कल्याण वैजीनाथराव कालेः

श्री के. सुधाकरनः

डॉ. अमर सिंहः

श्री बृजेन्द्र सिंह ओलाः

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि यद्यपि ई-एनएएम प्लेटफॉर्म पर 200 से अधिक कृषि उत्पादों का व्यापार होता है, फिर भी न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का कवरेज केवल 23 फसलों तक ही सीमित है और एमएसपी के अंतर्गत फसलों के चयन के लिए अपनाए गए मानदंड क्या हैं;

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान राजस्थान की प्रमुख फसलों के संदर्भ में कुछ फसलों को एमएसपी के कवरेज से बाहर रखने के क्या कारण हैं और एमएसपी के कवरेज के विस्तार की समय-सीमा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से किसानों/कृषक परिवारों को किए गए वित्तीय अंतरण का राज्यवार और योजनावार ब्यौरा क्या है; और

(घ) पिछले तीन फसली वर्षों के दौरान एमएसपी पर अपनी उपज बेचने वाले किसानों का राज्यवार प्रतिशत क्या है और राजस्थान तथा दौसा और झुंझुनू संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में संबंधित अनुपात क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) और (ख): प्रत्येक वर्ष, सरकार संबंधित राज्य सरकारों और केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के अभिमतों पर विचार करने के पश्चात कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर संपूर्ण देश के लिए 22 अधिदेशित कृषि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारित करती है। 22 अधिदेशित फसलों में 14 खरीफ फसलें यथा; धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, तुअर (अरहर), मूंग, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, रामतिल, कपास और 6 रबी फसलें, जैसे गेहूं, जौ, चना, मसूर (दाल), रेपसीड एवं सरसों, कुसुम और दो वाणिज्यिक फसलें, यथा; पटसन और कोपरा शामिल हैं।

एमएसपी ढांचे के तहत फसलों को शामिल करना कई कारकों पर निर्भर करता है, जिनमें अपेक्षाकृत लंबी शेल्फ लाइफ, व्यापक रूप से उगाई जाने वाली फसलें, बड़े पैमाने पर उपभोग की जाने वाली वस्तु, खाद्य सुरक्षा के लिए आवश्यक वस्तुएं आदि शामिल हैं।

वर्ष 2018-19 के केंद्रीय बजट में एमएसपी को उत्पादन लागत के कम से कम डेढ़ गुना के स्तर पर रखने के पूर्व-निर्धारित सिद्धांत की घोषणा की गई थी। तदनुसार, सरकार ने वर्ष 2018-19 से सभी अधिदेशित खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए एमएसपी में अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत प्रतिलाभ के साथ वृद्धि की है।

(ग) और (घ): विगत तीन फसल वर्षों के दौरान की गई अखिल भारतीय खरीद, किसानों को भुगतान की गई राशि और लाभान्वित किसानों संबंधी निम्नलिखित विवरण से स्पष्ट है कि बढ़ी हुई एमएसपी से राजस्थान के दौसा तथा झुंझुनू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के किसानों सहित देश के किसान लाभान्वित हुए हैं:

सभी एमएसपी फसलें	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**
कुल खरीद **(**एलएमटी में**)**	1,118	1,089	1,223
कुल एमएसपी मूल्य **(**लाख करोड़ में**)**	2.47	2.63	3.47
लाभान्वित किसान (लाख में)	168.12	152.35	196.35

*****